# कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता

# लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,अम्बिकापुर (छ.ग.)

## वचन पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच 343 के कुल कि.मी. 110.000 अंबिकापुर से रामानुगंज रोड में 2/4 लेन मय पेव्हड शाोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण के लिये सरगुजा/सूरजपुर जिले का निरिक्षण कर कुल क्षेत्रफल रकबा 9.869 हे. का चयन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है —

- 3. अम्बिकापुर वनपरिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के कंपार्टमेंट न0 PF2535 जिसका कुल रकबा 37.428 हे. में से प्रमावित रकबा 2.442 हे. एवं मेंड्राखुर्द राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरों / सर्वे न0 736/1,615,616,781/1 जिसका कुल रकबा 15.829 हे. में प्रमावित से रकबा 1.567 हे., किशुननगर राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरों / सर्वे न0 481/1 जिसका कुल रकबा 6.070 हे. में से प्रमावित रकबा 0.208 हे., रजपुरीखुर्द राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरों / सर्वे न0 16 जिसका कुल रकबा 0.026 हे. में से प्रमावित रकबा 0.015 हे. है। इस प्रकार अम्बिकापुर के वनपरिक्षेत्र के संरक्षित वनभूमि / राजस्व वनभूमि का कुल रकबा 4.232 हे. है।
- 4. सरगुजा वनमण्डल के संरक्षित वनमूमि के कंपार्टमेंट नं PF2577 के प्रमावित रकबा

उपरोक्त वन भूमि की मांग न्यूनतम है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत कुल रकबा 9:869 है. क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जो भी रातें लागू की जावेंगी वह मान्य होगी। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी) उपलब्ध कराने हेतु विमाग वचनबद्ध है।

बृजेश पटोरिया कार्यपालन अभियन्ता लो.नि.वि. , राष्ट्रीय राजमार्ग संमाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

# कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,अम्बिकापुर (छ.ग.) ई.मेल.nh43exen@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 10

# न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच 343 के कुल कि. मी. 110.000 अंबिकापुर से रामानुगंज रोड में 2/4 लेन मय पेव्हड भोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण के लिय सरगुजा/सूरजपुर जिले का निरिक्षण कर कुल क्षेत्रफल रकबा 9.869 हे. का चयन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

- 1. अम्बिकापुर वनपरिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के कंपार्टमेंट न0 PF2535 जिसका कुल रकबा 37.428 हे. में से प्रभावित रकबा 2.442 हे. एवं मेंड्राखुर्द राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरों / सर्वे न0 736/1,615,616,781/1 जिसका कुल रकबा 15.829 हे. में प्रभावित से रकबा 1.567 हे., किशुननगर राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरों / सर्वे न0 431/1 जिसका कुल रकबा 6.070 हे. में से प्रभावित रकबा 0.208 हे., रजपुरीखुर्द राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरों / सर्वे न0 16 जिसका कुल रकबा 0.026 हे. में से प्रभावित रकबा 0.015 हे. है। इस प्रकार अम्बिकापुर के वनपरिक्षेत्र के संरक्षित वनभूमि / राजस्व वनभूमि का कुल रकबा 4.232 हे. है।
- 2. **सर्गाता** वनमण्डल के संरक्षित वनभूमि के कंपार्टमेंट नं. **PF2577** के प्रभावित रकबा **5.637** हे. है।

उपरोक्त वन भूमि की मांग न्यूनतम है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत कुल रकबा 9.869 हे. क्षेत्र में वन भूमि/राजस्व वन क्षेत्र का में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु मांग न्यूनतम तथा आवश्यक है उक्त चयनित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

बृजेश पटोरिया कार्यपालन अभियन्ता लो.नि.वि.,राष्ट्रीय राजमार्ग संमाग अम्बिकापुर (छ.ग.) N

पंकज कमल (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर (छ.ग.)



**EXTRAORDINARY** 

भाग ।।—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/भ्रावण 31, 1935

No. 1960]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/SHRAVANA 31, 1935

#### पर्यावरण और वन मंत्रावय

## अधिस्चना

## नई दिल्ली, 22 अगस्त 2013

का.आ.2559(अ).-केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) और उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबढ़ विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए अपरिहार्य क्षमतावर्धन के लिए प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और या उत्पाद मिश्रण, भारत के किसी भी भाग में यथास्थित केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण संवात निर्धारण प्राधिकरण की उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में पूर्व पर्यावरण निकासी के पश्चात् ही हाथ में लिया जाएगा;

और भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय में राजमार्गी, भवनों और विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय निकासी प्रदान करने से संबंधित पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों का पुनर्विनोकन करने के लिए कार्यालय मापन सं. 21-270/2008-आईए.।।।, तारीख 11 दिसंबर, 2012 और पर्यावरण और वन मंत्रालय के गमनचुंबी भवनों के संबंध में कार्यालय मापन तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा सदस्य, (पर्यावरण और वन तथा विमान और प्राद्योगिकी), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था ;

और समिति के संदर्भ के निबंधनों (टीओआर) में एक निबंधन पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना के अधीन 60 मीदर के मार्गाधिकार और 200 किलोमीटर लंबी राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण निकासी की अपेक्षाओं का पुनर्विलोकन करना था ;

और समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पस्तुत कर दी है और इस टीओआर पर समिति ने राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को विस्तारण की अपेक्षा और पर्यावरण संघात निर्धारण से छूट देने की सिफारिश की है या राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन परियोजना माइल टीओआर, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा के अनुसार तैयार किया जा सकता है और पर्यावरण निकासी की अपेक्षा के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि 100 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विस्तार जिसमें अतिरिक्त मार्गाधिकार या विद्यमान संरेखणों पर 40 मीटर तक अर्जन और पुनःसंरेखण पर 60 मीटर या उप-मार्गों को अधिसूचना की परिधि से बाहर रखने की सिफारिश की है;

और समिति की रिपोर्ट की पर्यावरण और वन मंत्रालय में जांच की गई है । पहले ही अधिसूचना सं. का. आ. 3067(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा सभी राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को सिवाय उन परियोजनाओं के जो पहाड़ी क्षेत्रों (1000 मीटर एएमएसएल) और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में है, को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना 2006 से छूट प्रदान कर दी गई है।

और अन्य बातों के साथ पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं. 21-270/2008-आईए.III, तारीख 11 दिसंबर, 2012 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पूर्वोक्त सिफारिशों को स्वीकार करने का विनिश्चय किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रावय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के लिए निम्नतिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

- 2. उक्त अधिसूचना में,-
- (क) पैरा 7 के उपपैरा II के मद (i) के स्थान पर निम्नतिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-
- '(i) "विस्तारण" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजना क्रियाकनापों के मामले में विशेषन आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख 1' परियोजनाओं या क्रियाकनापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषन आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकनापों के विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन उस परियोजना या क्रियाकनाप, जिसके निए पूर्व पर्यावरणीय अनापित्त ईप्सित की गई है, के संबंध में पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट (ईआईए) तैयार करने के निए सभी सुसंगत पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए विस्तृत और समय निर्देश के निबंधनों का अवधारण और विशेषन आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति विहित आवेदन प्रक्य 1/प्रक्याक में दी गई जानकारी के आधार पर जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्देश के निबंधन हैं, किसी विशेषन आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी उप समूह द्वारा स्थल क्षमण बदि संबंधित विशेषन आंकलन समिति वा संबंधित राज्य स्तर विशेषन आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए निर्देश के निबंधन, यदि प्रस्तुत किए जाए और अन्य सूचना जो विशेषन आंकलन समिति वा राज्य स्तर विशेषन के समिति है:

परंतु निम्ननिखित को विस्तारण की आवश्यकता नहीं होगी-

- (1) अनुसूची के मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद सही परियोजनाएं और कार्यकलाप (नगरों या
- वाणिज्यिक परिसरों या आवासन का संनिर्माण) ;
- (II) अनुसूची के मद 7 की उपमद (च) के अधीन स्तंभ (3) और स्तंभ (4) की प्रविष्टि (II) के अधीन आने वाली राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं ;

परंतु यह और कि -

- अ. खंड (i) में निर्दिष्ट परियोजनाएं और कार्यकलापों का अंकन प्ररूप 1 या प्ररूप 1क और अवधारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ;
- आ. खंड (ii) में निर्दिष्ट परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट माडल टीओआर के आधार पर ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट तैयार करेंगी ;
- (ख) अनुसूची में मद 7 की उप मद (च) के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि (li) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-
  - "(ii) राष्ट्रीय राजमार्गौ का 100 किलोमीटर से अधिक विस्तार जिनमें अतिरिक्त 40 मीटर से अधिक विद्यमान संरेखणों पर और पुन: सरेखणों या उपमार्गों पर 60 मीटर क्षेत्राधिकार या भूमि अर्जन अंतवर्लित है ।" [फा.सं.21-270/2008-आईए.।।।]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

ः मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए ये और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए :

- का.आ. 1733(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
- 2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
- 3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
- का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; और
- 5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2013

S.O. 2559(E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified

And whereas the Government of India in the Ministry of Environment and Forests had constituted a High Level Committee under the Chairmanship of Member (Environment and Forests and Science and Technology), Planning Commission, vide OM No.21-270/2008-IA.III dated the 11th December, 2012 to review the provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 relating to granting Environmental Clearances for Roads, Buildings and Special Economic Zone projects and provisions under the OM dated the 7th February, 2012 issued by the Ministry of Environment and Forests regarding guidelines for High Rise Buildings;

And whereas one of the terms of reference (ToR) of the Committee was to review the requirement of Environmental Clearance for highway expansion projects up to the right of way of 60 meters and length of 200 kms under Environmental Impact Assessment notification;

And whereas the Committee has submitted its report to the Ministry and on this ToR, the Committee has recommended exempting highway expansion projects from the requirement of scoping and that Environmental Impact Assessment or Environment Management Plan for highway expansion projects may be prepared on the basis of model ToRs to be posted on Ministry's website and in respect of requirement of environmental clearance, the Committee has recommended that expansion of National Highway projects up to 100 kms involving additional right of way or land acquisition up to 40 mts on existing alignments and 60 mts on re-alignments or by-passes may be exempted from the preview of the notification;

And whereas the report of the Committee has been examined in the Ministry of Environment and Forests. Earlier, vide notification S.O. 3067(E), dated the 1st December 2009 all State Highway expansion projects, except those in hilly terrain (above 1000 m AMSL) and ecologically sensitive areas, have already been exempted from the

purview of the Environmental Impact Assessment notification, 2006.

And whereas, keeping inter-alia in view the foregoing, the Ministry of Environment and Forests has decided to accept the aforesaid recommendations of the High Level Committee constituted vide OM No.21-270/2008-IA.III, dated the 11th December 2012;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely: --

2. In the said notification, —

(a) in paragraph 7, in sub-paragraph II, for item (i), the following item shall be substituted, namely:

'(i) "Scoping" refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category A 'projects activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1'projects or activities, including applications for expansion or modernization or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought and the Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the terms of reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form 1 or Form 1A including terms of reference proposed by the applicant, a site visit by a sub-group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned:

Provided that the following shall not require Scoping-

- all projects and activities listed as Category 'B' in item 8 of the Schedule (Construction or Township or Commercial Complexes or Housing);
- all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and column (4) under sub-item (f) (ii) of item 7 of the Schedule:

Provided further that---

- the projects and activities referred to in clause (i) shall be apprised on the basis of Form 1 or Form 1A and the conceptual plan;
- The projects referred to in clause (ii) shall prepare EIA and EMP report on the basis of model TOR B. specified by Ministry of Environment and Forests;

(b) in the Schedule, against sub-item (f) of item 7, in column (3), for the entry (ii), the following entry shall be

"(ii) Expansion of National Highways greater than 100 km involving additional right of way or land acquisition greater than 40m on existing alignments and 60m on re-alignments or by-passes."

[F. No. 21-270/2008-1A.III]

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:--1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;

2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;

3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;

4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012; and

5. S.O.674(E), dated the 13th March, 2013